न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– पीयुष समारिया, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –104/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2022/128

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस्
रघुनाथ पुत्र रामदीन उम्र 63 वर्ष जाति जाट, निवासी जलवाना, तहसील मेड़ता, जिला नागौर (राज.)		1. तहसीलदार मेड़ता तहसील मेड़ता जिला नागौर 2. पटवार हल्का धांधलास उदा, तहसील मेड़ता जिला नागौर (राज.) 3. भू–अभिलेख निरीक्षक, रेण, तहसील मेड़ता जिला नागौर (राज.)

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री रमेश कुमार ढ़ाका।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय दिनांक 06/09/2022

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार मेड़ता द्वारा प्रकरण संख्या 14/2020 सरकार बनाम रघुनाथ में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2021 से असंतुष्ट होकर दिनांक 18.04.2022 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि अभी हाल में जब अपीलान्ट अपने उक्त खेत (बाड़ा) पर था, तब मौके पर पटवारी हल्का ने आकर अपीलान्ट को ऐलानिया धमकी दी कि मैंने तुम्हारे विरुद्ध निर्णय पारित करवा दिया है और अब लाठी के जोर पर तुम्हारे बाड़ा को हटाउंगा और अगर तुमने बीच में आने की कोशिश की, तो तुम्हें राजकार्य में बाधा के झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा। तब अपीलान्ट ने मेड़ता आकर निर्णय की नकल दिनांक 24–03–2022 को प्राप्त की। तब अपीलान्ट को उक्त निर्णय की सम्पूर्ण जानकारी हुई। जिससे अपीलान्ट की अपील अन्दर मयाद शुमार फरमाई जानी न्यायोचित एवं आवश्यक होने का कथन करते हुए अपीलान्ट की अपील अन्दर मयाद शुमार फरमाई जाने का निवेदन किया है। राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए मयाद प्रार्थना पत्र व अपील खारिज करने का निवेदन किया। अपीलान्ट द्वारा मयाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वंय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है, अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के संबंध में किये गये कथनों पर विश्वास किया जाकर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का धांधलास उदा ने भू अभिलेख निरीक्षण रेण से एक सत्यापित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मौजा जलवाना के खसरा नं. 458 रकबा 0.0280 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 भूमि पर अपीलान्ट रघुनाथ ने नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। इस पर अपीलान्ट के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया. अपीलान्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलान्ट का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ, नोटिस तामिल के बाद तारीख पेशी पर अपीलान्ट की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया गया कि अपीलान्ट को एक नोटिस खसरा नं. 458 जो ग्राम जलवाना की सरहद में आया हुआ है, जिसमें 0.0280 हैक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण करना बताया है, यह गलत रूप से बताया गया है। अपीलान्ट का 0.0280 हैक्टेयर पर कोई नाजायज अतिक्रमण नहीं है। खसरा नं. 458 के चिपते ही खसरा नं.

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर,नागौर

301/1 व 301 आया हुआ है, जिसमें अपीलान्ट की मालिकाना हक की खरीदसुदा खातेदारीसुदा जमीन आई हुई है, जिस जमीन का रजिस्ट्री बेचाननामा दिनांक 12–03–2008 को अपीलान्ट के नाम हो रखा है। इससे स्पष्ट रोशन होता है कि 0.0280 हैक्टेयर जमीन पर अपीलान्ट का कोई नाजायज अतिक्रमण नहीं है। खसरा नं. 301 व 301/1 जमीन में अपीलान्ट का रहवासी मकान भी बना हुआ है, जिसमें अपीलान्ट मय परिवार निवास करता है, ऐसी परिस्थितियों में अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 आर एल आर एक्ट की कार्यवाही ड्रॉप की जाना न्यायहित में है। खसरा नं. 458 में से मेड़ता से बग्गड़ जाने वाली पक्की सड़क भी आई हुई है, खसरा नं. 458 के पुराने खसरा नं. 302 है, इन खसरा नम्बर में अपीलान्ट की पीढ़ियों से कब्जासुद जमीन आई हुई है, जिसमें अपीलान्ट अपना पशुधन, इंधन, चारा–पुस व कृषि औजार रखने के उपयोग व उपभोग में लेता आ रहा है, जो पीढ़ियों से लेता आ रहा है, अपीलान्ट ने कोई नया अतिक्रमण नहीं किया है, सो अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 आर एल आर एक्ट की कार्यवाही ड्रोप फरमाने की कृपा करावें ।उपरोक्त बाड़ा अपीलान्ट व लालाराम बढ़ेरो के जमाने से कब्जासुद चला आ रहा है तथा उक्त बाड़े के चारों ओर अपीलान्ट की पुरानी बाड़ की हुई है व दक्षिण दिशा की ओर से आई हुई सड़क की तरफ अपीलान्ट का निकाल आया हुआ है व सड़क की ओर अपीलान्ट की पक्की दीवार भी बनाई हुई है, जो पिछले कई वर्षों पूर्व बनाई गई थी, उक्त बाड़े में अपीलान्ट अपना पशुधन, चारा, इंधन व अपने कृषि औजार रखता है, उक्त बाड़े को अपीलान्ट सोने उठने बैठने आदि के काम में लेता आ रहा है व आज भी कृषि औजार अपीलान्ट के उपरोक्त बाड़े में पड़े है व चारा, इंधन व पशुधन भी इसी बाड़े में रखता है, अपीलान्ट का का बिना किसी रोक टोक के उक्त बाड़े पर लगातार कब्जा चला आ रहा है, इस बात की पुष्टि संवत् 2040 से 2058 व संवत् 2066 व 2077 की खसरा परिवर्तित निर्धारण की नकल साथ में संलग्न की। यानी पिछले करीब 37 साल से ज्यादा समय से अपीलान्ट का उपरोक्त बाड़े पर कब्जा चला आ रहा है व अपीलान्ट उपयोग व उपभोग में लेता आ रहा है। इस बात की पुष्टि खसरा परिवर्तित निर्धारण की नकल से होती है कि अपीलान्ट का उपरोक्त बाड़े पर लगातार कब्जा चला आ रहा है। उपरोक्त जमीन बारानी–2 नहीं है, उपरोक्त जमीन बंजर पड़त जमीन है, इस बात की पुष्टि संवत 2032 से 2035 की जमाबंदी की नकल से होती है। उपरोक्त खसरा नम्बर में से 5 बीघा जमीन की खातेदारी पूर्व में राजकीय प्राथमिक विद्यालय जलवाना के नाम हो चुकी है, इससे स्पष्ट रोशन होता है कि उपरोक्त जमीन बारानी–2 नहीं है। अपीलान्ट उपरोक्त सम्पति का उपयोग व उपभोग बढ़ेरो के जमाने से करता आ रहा है व उपरोक्त सम्पति पर पिछले 37 सालों से ज्यादा समय से कब्जा अपीलान्ट का चला आ रहा है, ऐसी परिस्थितियों में अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 आर एल आर एक्ट की कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावें। राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर इस प्रकार के आदेश पारित किये गये कि जिन व्यक्तियों का संवत 2032, 2040, 2045, 2050, 2055, 2058, 2060 से अथवा उनके पूर्व से कब्जे चले आ रहे है, उन व्यक्तियों की सम्पतियों को नियमन किया जावे, इस प्रकार अपीलान्ट की उपरोक्त सम्पति पर भी संवत् 2040 से पहले से कब्जा चला आ रहा है, इस बात की पुष्टि खसरा परिवर्तित आदेश से होती है, जिसमें अपीलान्ट के परिवार के नाम कब्जा दर्ज नहीं है, इससे स्पष्ट रोशन होता है कि अपीलान्ट का लगातार कब्जा चला आ रहा है, ऐसी परिस्थितियों में अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 आर एल आर एक्ट की कार्यवाही ड्रोप कर अपीलान्ट के पक्ष में नियमन उपरोक्त जमीन का किया जाना न्यायोचित है। अपीलान्ट का उपरोक्त जमीन पर पिछले करीब 37 साल से ज्यादा समय से लगातार कब्जा चला आ रहा है। अंत में अपीलान्ट के विरुद्ध खोली गई कार्यवाही को ड्रॉप फरमाने व ग्राम जलवाना की सरहद में स्थित खसरा नं. 458 व पुराने खसरा नं. 302 में अपीलान्ट की जमीन को नियमन खातेदारी अधिकार दर्ज करने की प्रार्थना की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त जवाब का हल्का पटवारी धांधलास उदा से जांच रिपोर्ट प्राप्त की, जिसके अनुसार अपीलान्ट का उक्त भूमि पर अतिक्रमण गलत रूप से मानकर यह आदेश पारित किया कि अपीलान्ट को मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश जारी किये जाते है एवं मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण हेतु लगान 0.14 का 50 गुणा रूपया 7/–

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरुद्ध निर्णय पारित करने में कानूनी एवं वाकियाती गलती की है। अपीलान्ट ने अपने जवाब में यह स्पष्ट रूप से कथन किया था कि खसरा नं. 458 के पुराने खसरा नं. 302 है, इन खसरा नम्बर में अपीलान्ट की पीढ़ियों से कब्जासुद जमीन आई हुई है, जिसमें अपीलान्ट अपना पशुधन, इंधन, चारा–पुस व कृषि औजार रखने के उपयोग व उपभोग में लेता आ रहा है, जो पीढ़ियों से लेता आ रहा है, अपीलान्ट ने कोई नया अतिक्रमण नहीं किया है तथा उपरोक्त बाड़ा अपीलान्ट व लालाराम बढ़ेरो के जमाने से कब्जासुद चला आ रहा है तथा उक्त बाड़े के चारों ओर अपीलान्ट की पुरानी बाड़ की हुई है व दक्षिण दिशा की ओर से आई हुई सड़क की तरफ अपीलान्ट का निकाल आया हुआ है व सड़क की ओर अपीलान्ट की पक्की दीवार भी बनाई हुई है, जो पिछले कई वर्षो पूर्व बनाई गई थी, उक्त बाड़े में अपीलान्ट अपना पशुधन, चारा इंधन व अपने कृषि औजार रखता है, उक्त बाड़े को अपीलान्ट सोने उठने बैठने आदि के काम में लेता आ रहा है व आज भी कृषि औजार अपीलान्ट के उपरोक्त बाड़े में पड़े है व चारा, इंधन व पशुधन भी इसी बाड़े में रखता है, अपीलान्ट का का बिना किसी रोक टोक के उक्त बाड़े पर लगातार कब्जा चला आ रहा है, इस बात की पुष्टि संवत् 2040 से 2058 व संवत् 2066 व2077 की खसरा परिवर्तित निर्धारण की नकल साथ में संलग्न की। जिन तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं कर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी एवं वाकियाती गलती की है।

अपीलान्ट ने अपने जवाब में यह भी स्पष्ट कथन कियाथा कि पिछले करीब 37 साल से ज्यादा समय से अपीलान्ट का उपरोक्त बाड़े पर कब्जा चला आ रहा है व अपीलान्ट उपयोग व उपभोग में लेता आ रहा है। इस बात की पुष्टि खसरा परिवर्तित निर्धारण की नकल से होती है कि अपीलान्ट का उपरोक्त बाड़े पर लगातार कब्जा चला आ रहा है। उपरोक्त जमीन बारानी–2 नहीं है, उपरोक्त जमीन बंजर पड़त जमीन है, इस बात की पुष्टि संवत 2032 से 2035 की जमाबंदी की नकल से होती है। उपरोक्त खसरा नम्बर में से 5 बीघा जमीन की खातेदारी पूर्व में राजकीय प्राथमिक विद्यालय जलवाना के नाम हो चुकी है, इससे स्पष्ट रोशन होता है कि उपरोक्त जमीन बारानी–2 नहीं है। अपीलान्ट उपरोक्त सम्पति का उपयोग व उपभोग बढ़ेरो के जमाने से करता आ रहा है व उपरोक्त सम्पति पर पिछले 37 सालों से ज्यादा समय से कब्जा अपीलान्ट का चला आ रहा है। जिन तथ्यों पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं कर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी एवं वाकियाती गलती की है।

राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर इस प्रकार के आदेश पारित किये गये कि जिन व्यक्तियों का संवत् 2032, 2040,2045, 2050, 2055, 2058, 2060 से अथवा उनके पूर्व से कब्जे चले आ रहे है, उन व्यक्तियों की सम्पतियों को नियमन किया जावे, इस प्रकार अपीलान्ट की उपरोक्त सम्पति पर भी संवत् 2040 से पहले से कब्जा चला आ रहा है, इस बात की पुष्टि खसरा परिवर्तित आदेश से होती है, जिसमें अपीलान्ट के परिवार के नाम,कब्जा दर्ज नहीं है, इससे स्पष्ट रोशन होता है कि अपीलान्ट का लगातार कब्जा चला आ रहा है, ऐसी परिस्थितियों में अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 आर एल आर एक्ट की कार्यवाही ड्रोप कर अपीलान्ट के पक्ष में नियमन उपरोक्त जमीन का किया जाना न्यायोचित है। अपीलान्ट का उपरोक्त जमीन पर पिछले करीब 37 साल से ज्यादा समय से लगातार कब्जा चला आ रहा है। जिन तथ्यों पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं कर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी एवं वाकियाती गलती करने का कथन करते हुए वकील अपील अपीलान्ट के विरुद्ध पारित निर्णय दिनांक 30–12–2021 को अपास्त करने तथा अपीलान्ट के विरुद्ध खोली गई धारा 91 सी आर पी सी की कार्यवाही को ड्रॉप की जाने तथा अपीलान्ट की खातेदारी दर्ज की जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम जलवाना के खसरा नम्बर 458 रकबा 0.0280 किस्म बारानी–2 भूमि पर अपीलान्ट द्वारा फाटक लगाकर एवं दीवार निकाल कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी धांधलास उदा द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक रेण से दिनांक 28.09.2020 को सत्यापित रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता के समक्ष प्रस्तुत की। उक्त संबंध

कलक्टर, नागौर

में अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट दर्ज प्रकरण में अपीलान्ट ने जबाब प्रस्तुत किया, जो मूल पटवारी हल्का धांधलास को दिनांक 29.12.2020 को प्रेषित कर रिपोर्ट चाहीं गई। उक्त संबंध में पटवारी धांधलाल उदा द्वारा रिपोर्ट दिनांक 27.12.21 को तहसीलदार मेड़ता के समक्ष प्रस्तुत कर मौजा जलवाना के राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नम्बर 458 की राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होना बताया है। इसके अलावा अपीलान्ट स्वंय ने अधिनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा में उक्त विवादित भूमि पर स्वंय का पुराना कब्जा होना स्वीकार करते हुए एवं उक्त कब्जा को नियमन करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में निगरानी/एलआर/2885/2006/नागौर, मूलनाथ बनाम सरकार प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 24.04.2017 में अंकित किया है कि ***"जहां तक पुराने कब्जे के आधार पर नियमन का प्रश्न है, तो धारा 91 की कार्यवाही में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है, इसके लिए पृथक से कार्यवाही ही संभव है।"*** चूंकि अपीलान्ट विवादित भूमि पर स्वंय का पुराना कब्जा होना स्वीकार किया है, इसलिए अपीलान्ट अतिक्रमी है एवं उक्त निर्णय अनुसार ऐसे पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है, का कथन करते हुए राजपैरोकार ने अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय 24.04.2017 का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलान्ट ने स्वंय ने विवादित भूमि पर स्वंय का कब्जा होना स्वीकार करते हुए, उक्त कब्जा को नियमन करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में निगरानी/एलआर/2885/2006/नागौर, मूलनाथ बनाम सरकार प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 24.04.2017 में अंकित किया है कि ***"जहां तक पुराने कब्जे के आधार पर नियमन का प्रश्न है, तो धारा 91 की कार्यवाही में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है, इसके लिए पृथक से कार्यवाही ही संभव है।"*** हस्तगत प्रकरण में चूंकि अपीलान्ट स्वंय ने विवादित भूमि पर स्वंय का पुराना कब्जा होना स्वीकार किया है, इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट उक्त विवादित भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है एवं उक्त निर्णय अनुसार ऐसे पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता द्वारा पारित निर्णय जैर अपील को यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर